मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः05.04.2025

थाना लालगंज, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ₹ 20 हजार का इनामिया बदमाश/शातिर गो-तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद—

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

मीरजापुर पुलिस द्वारा लगातार गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः05.04.2025 को थाना लालगंज, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कुशियरा जंगल में दौराने पुलिस मुठभेड़ में ₹ 20 हजार के इनामियां अभियुक्त/बदमाश आशीष कुमार पुत्र मटरू बिन्द निवासी मचहां(कुशहां) थाना जिगना जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। मौके से अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त के कब्जे से मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ व गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त—

आशीष कुमार पुत्र मटरू बिन्द निवासी मचहां(कुशहां) थाना जिगना जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-23 वर्ष।

विवरण बरामदगी—

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस।

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0स0-27/2025 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

मु0अ0सं-222/2024 धारा-3/5A/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

थानाध्यक्ष लालगंज-संजय सिंह मय पुलिस टीम।

निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।

उप-निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।